



KOLHAN UNIVERSITY

CHAIBASA, WEST SINGHBHUM
JHARKHAND, PIN-833201
CONTACT NO. - 06582-255274

Ref. No. KV/R/947/2020

Date 25/11/2020

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, (उच्च शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-492 दिनांक 08.05.2020 एवं DHE sec-5/AFFILIATION-COLLEGES-1/2020/HTESD-986 दिनांक 16.09.2020 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा अद्यतन स्टैच्यूट के प्रावधानों के आलोक में कडिका-2 में अंकित शर्तों के अधीन निम्न महाविद्यालयों को B.Ed पाठ्यक्रमों को सत्र 2020-22, 2021-23 & 2022-24 के लिए शतधनी अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं०	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र	अभियुक्ति
1.	Madhusudan Mahto Teachers Training College, Chakradharpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
2.	Jamini Kant B.Ed College, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
3.	Srinath College of Education, Adityapur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
4.	Karim City College, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
5.	Swami Vivekanand College of Education, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
6.	Jamini Kalyani Mahato College of Management, Science & Commerce, Salboni	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
7.	Loyola College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
8.	Institute for Education, Seraikella	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
9.	D.B.M.S. College of Education, Jamshedpur	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
10.	Rambha College of Education, Gitilata	B.Ed	2020-22, 2021-23, 2022-24	अस्थायी संबन्धन दीर्घाकरण
11.	Ashu Kisku Memorial & Rabi Kisku Teachers Training Institute, Chandil	B.Ed	2020-22	इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि ससमय महाविद्यालय द्वारा NCTE से स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी अन्यथा संबन्धन दीर्घाकरण के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने हेतु विश्वविद्यालय स्वतंत्र होगा।

शर्तों:-

1. महाविद्यालय, द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये सुझावों एवं शर्तों का अनुपालन समय-सीमा के अन्दर किया जाएगा।
2. महाविद्यालय, पूर्व क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, भुवनेश्वर द्वारा लगाये गये शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
3. महाविद्यालय, राज्य सरकार द्वारा निर्गत पनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
4. विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कमी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार अनियमितता पाये जाने या NCTE/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबद्धता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
5. महाविद्यालयों को 02 वर्ष के अन्दर NAAC Accrediation कराना आवश्यक होगा।

कुलपति के आदेशानुसार

ह0/-

कुलसचिव


कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा

दिनांक 25/11/2020

ज्ञापक KV/R/947/2020

प्रतिलिपि:-

1. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
2. कुलपति / प्रतिकुलपति के सहायक को उनके सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक / उप कुलसचिव को सूचनार्थ एवं कार्यार्थ।
4. संचिका में।


कुलसचिव

कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा।